Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक 485 /28 (1)व्यघ–सामान्य/16 दिनांक – 03/07/2018

"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 पत्र संख्या 387/ III(1)18–131(अधि0)/06टी0सी0 दिनांक 02.04.2018 एवं अपर सचिव, कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–69/XXX (2)/18/30(51)16 दिनांक 14.03.2018 से प्राप्त चयन सूची पर अंकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन के पत्र में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के रिक्त पदो के सापेक्ष अस्थाई रूप से वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600 लेवल 7 में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुये उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है। इन्हें समय–समय पर शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें।

क्र0 सं0	नाम (सर्वश्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	श्रेणी/उपश्रेणी	जन्मतिथि	जनपद	तहसील	नियुक्ति का कार्यालय
1	3	4	5	6	7	8	9
1	अनूप सिंह	बलवन्त सिंह	सामान्य	28.07.92	चमोली	चमोली	डी0डी0एम0ए0 रुद्रप्रयाग

यह नियुक्तियां निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तो के तहत् की जा रही है:–

1. मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में लम्बित रिट याचिकाओं यथा 631(एस/एस)/2015 निखिल मुयाल बनाम उ0 राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 924(एस/एस)/2017 सोनिया कश्यप बनाम उ0 लोक सेवा आयोग एंव अन्य, स्पेशल अपील संख्या 325 ऑफ 2017 रीना कुमारी बनाम उ0 लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या–2635(एस/एस)/2017 हरीश सिंह बिष्ट बनाम उ0 राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या – 2903 (एस/एस)/2017 बुद्वि सिंह बनाम उ0 लोक सेवा आयोग में पारित होने वाले मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
2. नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की सेवायें किसी भी समय एक माह का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है, यदि कनिष्ठ अभियन्ता स्वंय सेवा मुक्त होना चाहता है तो उसे भी नियुक्ति अधिकारी को एक माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा, एक माह के नोटिस के बदले में विभाग एक माह का वेतन देकर भी कनिष्ठ अभियन्ता को सेवा से अवमुक्त कर सकता है, इसी प्रकार कनिष्ठ अभियन्ता भी नोटिस के बदले में एक माह का वेतन जमा कर तुरन्त सेवा से अवमुक्त हो सकता है। यहां पर वेतन का तात्पर्य मूल वेतन समझा जायेगा।
3. उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यॉत्रिक) सेवा नियमावली 2007 में दिये गये प्राविधानुसार उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।
4. नियुक्ति आदेश के आधार पर अभ्यर्थियों को दिनांक 01/08/2018 तक नियुक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेना होगा तदोपरान्त अवधि व्यतीत होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा।
5. प्रथम नियुक्ति पर नियुक्त कार्यालय में योगदान करने पर अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
6. यदि अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत है और वहां से छोड़कर लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड में योगदान देगें, उन्हें उस विभाग से कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेश की प्रति योगदान देते समय प्रस्तुत करना होगा।

I.T upload 3/7/18

क्रमशः–2

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने स्वंय के हस्ताक्षर से अपनी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण तथा एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र अवश्य उपलब्ध करायें।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें।
   (क) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सकिय सेवा में हो, उनके द्वारा निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।
   (ख) चयनित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी राजकीय सेवा में है उन्हें लिखित रूप से अण्डरटैकिगं देंगे कि यदि वे पूर्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र 02 माह के अन्दर प्रस्तुत नही करेगें तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।
   (ग) जमानती धनराशि के रूप में 2500.00 (रू0 दो हजार पांच सौ मात्र) का राष्ट्रीय बचत पत्र जो कि नियुक्त कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष के नाम बन्धक हो।

आज्ञा से
(आर0 सी0 पुरोहित)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
4. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा/रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0, गढ़वाल /कुमायूँ/देहरादून।
5. अधीक्षण अभियन्ता....................वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग...।
6. अधिशासी अभियन्ता.................खण्ड, लोक निर्माण विभाग...।
7. सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. गार्ड पत्रावली।

3.7.18
(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
03/07/19.